बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना द्वारा दवाओं के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा निष्पादन में अनियमितताएँ बरतने की जाँच सचिव, स्वास्थ्य विभाग–सह–कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की गई। जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निविदा के निष्पादन में गम्भीर अनियमितताएँ पायी गई। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अनियमितताओं के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रथम दृष्टया तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दोषी पाया गया। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–650(12) दिनांक 13–10–14 द्वारा श्री ओम प्रकाश पाठक, तत्कालीन उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, जो तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य थे, को निलम्बित कर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई।

2. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–4545 दिनांक 12–12–2014 द्वारा श्री ओम प्रकाश पाठक, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली (तत्कालीन उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के भाग–4 के नियम–9(1)(क) के अन्तर्गत निलम्बित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक–4544 दिनांक 12–12–2014 द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार से यह अनुरोध किया गया कि श्री पाठक के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय परन्तु कई स्मार पत्रों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा आरोप–पत्र गठित कर नहीं भेजा गया।

4. सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–4251/2015 ओम प्रकाश पाठक बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 04–12–2015 को पारित आदेश में बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(7) के आलोक में निलम्बन आदेश दिनांक 12–12–2014 को निरस्त कर दिया।

5. अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–4251/2015 में दिनांक 04–12–15 को दिये गये न्यायादेश के अनुपालन में श्री ओम प्रकाश पाठक को निलम्बन मुक्त किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने तक श्री ओम प्रकाश पाठक को औद्योगिक अर्थशास्त्री के पद पर तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:–
3(स०)/उ०स्था०(आरोप)10/14 पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, इ–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव
कृ०पृ०उ०

D:\Industry Deptt\Devesh\Devesh 2.doc

ज्ञापांकः– 1458 पटना, दिनांकः– 21/03/2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली(हाजीपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/जिलाधिकारी, वैशाली/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, उद्योग विभाग/उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली/प्रशाखा पदाधिकारी–3(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री ओम प्रकाश पाठक, निलम्बित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली मुख्यालय–निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय का कार्यालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

21/3/2016
सरकार के उप सचिव

राकेश/21–03–16

(11)

आई0टी0 मैनेजर
उद्योग विभाग